न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XII, दरभंगा
पीठासीन पदाधिकारी : जावेद आलम
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–583 / 2026
(मनीषा आलोक कुमार उर्फ सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार)

==

मनीषा आलोक कुमार उर्फ सोनी कुमारी, पति आलोक कुमार..................................आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार..विपक्षी।

==

आवेदक की ओर से : श्री राजेन्द्र कुमार, विद्वान अधिवक्ता

सूचिका की ओर से : श्री अखिलेश कुमार, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

==

आदेश

04-05-2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त **मनीषा आलोक कुमार उर्फ सोनी कुमारी** की ओर धारा–482 (2) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत **महिला थाना कांड संख्या–01 / 2025, अन्तर्गत धारा–85,126(2), 115(2), 352, 3(5) BNS & 3/4 D.P. Act.** जो **विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा** के न्यायालय में लम्बित हैं, में अपनी गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां दाखिल किया है, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री राजेन्द्र कुमार**, सूचिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री अखिलेश कुमार** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री अमेन्द्र नारायण झा** को सुना।

2. अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचिका की शादी दिनांक 28.04.2022 को हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार किशोर कुमार ठाकुर उर्फ सोनु के साथ ग्राम कोलहेटा, थाना मोरो, जिला दरभंगा में हुई। सूचिका के माता पिता ने शादी में पच्चीस लाख रुपया खर्च किये। दिनांक 29.04.2022 को सूचिका अपने ससुराल मुहल्ला–बलभद्रपुर आई और अपने ससुराल में रहने लगी तथा लगातार एक साल तक अपने ससुराल में रही। कुछ दिनों तक तो ठीक से रही, परंतु उसके बाद उसके पति किशोर कुमार ठाकुर उर्फ सोनु एवं उसके परिवार के सभी लोग दबाव देने लगे कि अपने माता पिता से 5 लाख रुपया और दिलवाओ। इसके लिये उसे गाली गुप्ता एवं मारपीट करने लगे तथा खाना भी बंद कर देते थे। दिनांक 28.04.2022 को मारपीट कर

उसे सभी लोग घर से निकाल दिये, तब से सूचिका अपने माता पिता के घर पर रह रही थी। गांव समाज के लोगों के कहने पर जब दिनांक 24.11.2024 को 5 बजे शाम में सूचिका अपने ससुराल रहने गई कि एकाएक उसके पति किशोर कुमार ठाकुर उर्फ सोनु, ससुर मनोज कुमार गंगेश उर्फ पप्पु ठाकुर, सास उषा देवी, देवर कमल कुमार ठाकुर उर्फ लालू और ननद सोनी कुमारी उसे घर में प्रवेश होने से रोक दिया और उसका पति उसका गला पकड़कर जान मारने के नियत से गला दबाने लगे। तब उसके पिता जो उसके साथ गये थे, बीच–बचाव कर उसकी जान बचाई। उसके बाद वह अपने पिता के साथ घर (मायके) आ गई।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के द्वारा इस केस में कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया है और न ही कहीं लम्बित है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस मामले में झूठा फॅसाया गया है। आवेदक सूचिका की विवाहित ननद है। घटना के समय आवेदक अपने पति के साथ संयुक्त अरब अमीरात में रह रही थी। आवेदक को सूचिका के परिवार से कोई सरोकार नहीं है। इस वाद के अन्य सह अभियुक्तों को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–110/2025 एवं क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या–16591/2025 के द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है और उसके भागने की कोई संभावना नहीं है तथा बी0एन0एस0एस0 की धारा 482(2) के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इसलिए आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. विद्वान लोक अभियोजक एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत करने का प्रार्थना किया गया।

5. अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत कांड में प्राथमिकी धारा 85,126(2), 115(2), 352, 3(5) BNS & 3/4 D.P. Act. के अर्न्तगत दर्ज की गई हैं। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभियोग नहीं है। आवेदिका सूचिका की विवाहित ननद है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस वाद के अन्य सह अभियुक्तों को पूर्व में अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की गई

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XII, दरभंगा
पीठासीन पदाधिकारी : जावेद आलम
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–583 / 2026
(मनीषा आलोक कुमार उर्फ सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार)

है।

6. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक **मनीषा आलोक कुमार उर्फ सोनी कुमारी, पति आलोक कुमार** को बी0एन0एस0एस0 की धारा 482(2) के शर्तों के अधीन न्यायालय विद्वान एस0डी0जे0एम0, दरभंगा में इस आदेश के प्राप्त होने के **15 दिनों** के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में मो0 10,000/– (**दस हजार**) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

Sd/-

(जावेद आलम)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XII

दरभंगा

04.05.2026

Date of Judgment/order	04.05.2026
Date of Reserving Judgment/order	04.05.2026
Uploading order	08.05.2026
Uploaded by	Satish Lal Dev, Steno